अध्याय - 6

केन्द्रीय भण्डारण निगम में हिन्दी का स्थान और निगम में हिन्दी का प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयास

1. केन्द्रीय भण्डारण निगम में हिन्दी का स्थान और निगम में हिन्दी का प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयास

केन्द्रीय भण्डारण निगम 70 लाख मेट्रिक टन क्षमता के 458 भाण्डागार चला रहा है, जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं । निगम के इन भाण्डागारों में 400 से अधिक प्रकार की वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था है । विभिन्न वस्तुओं के भण्डारण के अलावा जमाकर्ताओं की ओर से रख-रखाव एवं परिवहन, भाण्डागार से नियत स्थान एवं नियत स्थान से भाण्डागार तक माल लाने-ले जाने, माल का वितरण करने एवं माल वितरित करने की सुविधा प्रदान करने जैसी भण्डारण से जुड़ी सुविधाएँ भी निगम द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

(क) केन्द्रीय भण्डारण निगम में हिन्दी का स्थान

केन्द्रीय भण्डारण निगम का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है इसलिए इन सभी क्षेत्रों की भाषा के अनुसार निगम की कार्य-प्रणाली में प्रयोग की जानेवाली भाषा और भाषा के स्तर में भिन्नता है ।

हिन्दी भाषी राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में स्थित कार्यालयों तथा भाण्डागारों में मुख्य रूप से हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होता है । इन राज्यों में स्थित कार्यालयों एवं भाण्डागारों से जुड़े साधारण व्यक्तियों, मजदूरों, किसानों, छोटे-बड़े व्यापारियों की बोलचाल की भाषा हिन्दी है इसलिए इनके साथ पत्राचार हिन्दी में किया जाता है । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के कार्यालयों से आपसी कार्यालयों तथा भाण्डागारों में किया जानेवाला पत्र-व्यवहार भी अधिकतर हिन्दी में ही किया जाता है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चण्डीगढ़ में हिन्दी भाषा के साथ प्रान्तीय भाषा क्रमशः गुजराती, मराठी तथा पंजाबी का भी प्रयोग किया जाता है । इन राज्यों में प्रान्तीय भाषा के साथ हिन्दी का भी काफी प्रचलन है । निगम के इन राज्यों में से नई दिल्ली और लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जानेवाला हिन्दी कार्य सराहनीय है ।

दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल में बोलचाल के लिए मुख्य रूप से पान्तीय भाषा का और पत्राचार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है ।

निगम के कार्यों में प्रान्तीय और अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी का भी काफी हद तक प्रयोग होता है, जिसका प्रमाण है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम को वर्ष 1987 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा ट्राफी से और वर्ष 1994 में वर्ष 1991-92 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । यह निगम के राजभाषा कक्ष के सहयोग एवं पर्यवेक्षण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिन्दी

में किए गए कार्य के बल पर ही सम्भव हो सका है ।

जहाँ तक हिन्दी भाषा के स्तर का सवाल है केन्द्रीय भण्डारण निगम से जुड़े व्यक्तियों, निगम के कार्यों एवं उद्देश्य को देखते हुए काफी सरल बोलचाल की हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है । यही नहीं बोलचाल की हिन्दी में उस राज्य की प्रान्तीय भाषाओं, वहाँ के शब्दों, उच्चारण पद्धति का प्रभाव भी साफ दिखाई देता है । बंगाल के कार्यालय तथा भाण्डागार में प्रयोग की जानेवाली हिन्दी भाषा में वहाँ की स्थानीय भाषा बंगला, गुजरात की हिन्दी में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र की हिन्दी में मराठी भाषा, हैदराबाद की हिन्दी में हैदराबादी भाषा तथा उसी प्रकार अन्य प्रांतों में बोली जानेवाली भाषा का प्रभाव भी वहां की हिन्दी में साफ झलकता है ।

जहाँ तक साहित्यिक हिन्दी के प्रयोग का सवाल है केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसका भी प्रयोग किया जाता है । निगम के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में प्रकाशित होनेवाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कविताओं, लेखों, आलोचनाओं, संस्मरणों आदि का स्तर काफी उच्च कोटि का होता है ।

1. परस्पर पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त भाषा

केन्द्रीय भण्डारण निगम में अधिकारियों, उच्चाधिकारियों, निरीक्षण अधिकारियों की भर्ती, भर्ती की केन्द्रीय प्रणाली के अन्तर्गत होती है तथा इनका स्थानान्तरण भी निगम के पूरे भारत में फैले किसी भी कार्यालय/भाण्डागार में होता है ।

निगम के अधिकारियों की तैनाती किसी भी राज्य में होती है । अतः जहाँ उनकी तैनाती होती है उनके लिए वहाँ की भाषा जानना जरूरी होता है ।

अधिकारियों को अपना दैनिक काम-काज पूरा करने के लिए आम नागरिक, किसान, मजदूर, छोटे-बड़े व्यापारी तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, जो कि मुख्य रूप से उसी राज्य के होते हैं, सम्पर्क स्थापित करना और बनाए रखना होता है । यदि अधिकारी उस राज्य का नहीं होता या उसे उस राज्य की भाषा नहीं आती तो वह अपना काम हिन्दी में करता है क्योंकि स्थानीय मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी या तो अपनी प्रान्तीय भाषा समझते हैं या बोलचाल की हिन्दी । कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी हिन्दी ही आती व भाती है क्योंकि इनकी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी रूप में ही बनवाए

जाते हैं और उन्हें हिन्दी में लिखने की छूट दी जाती है । साक्षात्कार में भी वे अपने विचार हिन्दी में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी से बातचीत करता है तो यदि वह दोनों एक ही राज्य के हों तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और यदि वे दोनों अलग-अलग लेकिन हिन्दी भाषी राज्य के हों तो हिन्दी में बात करते हैं । यदि उनमें से एक भी अधिकारी हिन्दी भाषी क्षेत्र का न हो या उसे हिन्दी न आती हो तो वे अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं ।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकतर कर्मचारी अपनी मातृभाषा या हिन्दी में बातचीत करते हैं ।

2. जन-सम्पर्क की भाषा

केन्द्रीय भण्डारण निगम की कार्यप्रणाली में जन-सम्पर्क का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है । निगम के दैनिक काम-काज में समाज के सभी वर्ग के लोग सम्पर्क में आते हैं । इनमें व्यापारी, जमाकर्ता, कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारी, किसान, मजदूर, देशी तथा विदेशी आयातक और निर्यातक मुख्य हैं ।

एक ओर जन-सामान्य से सीधे जुड़े होने के कारण और दूसरी ओर सरकारी संस्थान होने के नाते सरकारी राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए निगम हिन्दी में काम करनेका सांविधिक दायित्व निभा रहा है । इस प्रकार ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने और अधिक से अधिक लोगों तक भण्डारण की सुविधा पहुँचाने के निगम के उद्देश्यों की पूर्ति और सरकारी राजभाषा नीति का पालन का दायित्व दोनों ही रूपों में निगम द्वारा अपने काम-काज में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है । निगम द्वारा हिन्दी कार्य को इसलिए भी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि हिन्दी का प्रयोग निगम के उद्देश्य एवं लाभप्रदता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ।

किसानों, मजदूरों तथा प्रान्तीय लोगों से वैज्ञानिक भण्डारण, दैनिक काम-काज के सिलसिले में सम्पर्क उस राज्य की प्रान्तीय भाषा या हिन्दी में किया जाता है । राज्य सरकार के कार्यालयों, महानगर पालिका, महापालिका आदि से सम्पर्क व पत्राचार उस राज्य की प्रान्तीय भाषा में किया जाता है । बहु-राष्ट्रीय कंपनियों, बड़े जमाकर्ताओं, विदेशी व शिपिंग कंपनियों, गैर सरकारी कार्यालयों तथा कुछ राज्य की राज्य सरकारों के निकायों से सम्पर्क व पत्राचार अंग्रेजी में किया जाता है ।

3. तकनीकी भाषा

केन्द्रीय भण्डारण निगम का मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा प्रदान करना है । वैज्ञानिक भंण्डारण एवं भाण्डागारों में भण्डारित की जानेवाली विभिन्न वस्तुओं के परिरक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए निगम में सुदृढ़ तकनीकी प्रभाग हैं, जिसमें प्रशिक्षित व कुशल तकनीकी अधिकारी तथा कर्मचारी हैं, जो वैज्ञानिक भण्डारण के जानकार ही नहीं उसमें माहिर भी हैं । इन तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियें की तैनाती सभी कार्यालयों व भाण्डागारों में की गई है ।

भाण्डागारों में भण्डारित किए जानेवाले विभिन्न माल, माल को चट्टों में लगाने, माल के रख-रखाव, परिरक्षण, श्रेणीकरण, प्रधूमन, छिड़काव, देखरेख, कीटनाशी रसायनों के प्रयोग तथा अन्य भण्डारण प्रणाली में तकनीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है । सभी कार्यालयों तथा भाण्डागारों के तकनीकी कार्यों के लिए प्रयुक्त तकनीकी भाषा एक ही है । हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तकनीकी भाषा का प्रयोग हिन्दी में और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी में होता है ।

(ख) निगम में हिन्दी का प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयास

केन्द्रीय भण्डारण निगम में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग अधिकाधिक प्रभावी ढंग से किए जाने एवं हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए निम्नलिखित उपाय व प्रयास किए जा रहे हैं -

1. राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी लिपिक, हिन्दी टंकक आदि पदों का सृजन किया गया है और इन पदों को भरा जा रहा है ।
2. हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक देवनागरी टाइपराइटर, द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, द्विभाषी टेलेक्स मशीन तथा द्विभाषी फ्रैंकिंग मशीन खरीदी गई हैं और उनका उचित उपयोग किया जा रहा है ।
3. मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं भाण्डागारों के नामपट्ट हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में और हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी व अंग्रेजी इस प्रकार त्रिभाषी रूप में बनवाए गए हैं ।

4. मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं भाण्डागारों में उपयोग में लायी जा रही कार्यालय नियम पुस्तिकाएँ (मैनुअल) तथा पत्रशीर्ष, रबर की मोहरें आदि द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी रूप में बनवाए जा रहे हैं ।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के पहचान-पत्र/परिचय-पत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं ।

6. निगम द्वारा तार का पता डाक एवं तार विभाग में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी पंजीकृत करवाया गया है तथा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी तार भेजी जा रही है ।

7. मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुस्तकों की खरीद के लिए उचित अनुदान की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष हिन्दी की साहित्यिक, ज्ञानवर्धक उपयुक्त पुस्तकें खरीदी जा रही हैं ।

8. कार्यालय के दैनंदिन काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं ।

9. कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और हिन्दी में काम करने के लिए उन्हें सन्दर्भ साहित्य उपलब्ध किया जा रहा है तथा उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है ।

10. अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टंककों को क्रमशः हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि उनसे हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण की सेवाएँ भी प्राप्त हो सकें ।

11. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं । इन कार्यशालाओं में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार के राजभाषा विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है ।

12. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में लेख, कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ आदि के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा "हिन्दी स्मारिका", "भण्डारण समाचार" आदि पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है ।

13. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मूल हिन्दी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण-आलेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना, "अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना, अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी में भी आशुलिपि का कार्य करने के लिए "प्रोत्साहन भत्ता" योजना, अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी में भी टाइपलेखन कार्य करने के लिए "प्रोत्साहन भत्ता" योजना, हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करनेवाले भाण्डागारों/विभागों के लिए "चलशील्ड" योजना आदि लागू की गई हैं ।

14. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टंकण, हिन्दी वाद, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टिप्पण-आलेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं ।

15. राजभाषा विभाग से समय-समय पर प्राप्त होनेवाले हिन्दी सम्बन्धी आदेशों, अनुदेशों आदि से निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत करवाया जाता है और विभिन्न कार्यालयों एवं भाण्डागारों में इन आदेशों/अनुदेशों के पालन की समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार उचित मार्गदर्शन भी किया जाता है ।

16. निगम के मुख्यालय एवं लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों की नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित होती हैं और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए कार्य की समीक्षा और आगामी तिमाही में किए जानेवाले कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती है ।

17. धारा 3(3) के अन्तर्गत आनेवाले सभी दस्तावेज, विज्ञापन, संविदाएँ आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं ।

18. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाती हैं ।

19. अधिकांश कार्यालयों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पत्राचार आदि मुख्य रूप से हिन्दी में ही किया जाता है ।

20. अपने "ग" और "घ" वर्ग के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन करनेवाले क्षेत्रीय कार्यालयों में से अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ये प्रशिक्षण हिन्दी में ही दिये जाते हैं ।

21. निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में समय-समय पर छोटे तथा सीमान्त किसानों को वैज्ञानिक भण्डारण पर नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है । ये प्रशिक्षण हिन्दी तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में ही दिये जाते हैं ।

22. निगम द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों आदि के लिए हिन्दी में भी प्रेस रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जो विभिन्न राज्यों के मुख्य हिन्दी समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती हैं ।

23. हिन्दी में किये जा रहे पत्राचार का सही व तुरन्त लेखा-जोखा प्राप्त करने के लिए हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा कार्यालय द्वारा भेजे जानेवाले हिन्दी पत्रों के लिए अलग से आवक-जावक रजिस्टर बनाए गए हैं ।

24. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ भाण्डागारों से हिन्दी में किए गए उत्तरोत्तर कार्य की तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवायी जाती है और इन रिपोर्टों की समीक्षा कर सम्बन्धित भाण्डागारों को हिन्दी में अधिक से अधिक कार्यालयीन काम-काज करने के लिए उचित आदेश, सलाह तथा मार्गदर्शन आदि दिये जाते हैं और समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के हिन्दी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

25. विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अधीनस्थ भाण्डागारों में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की स्थिति जानने तथा हिन्दी में अधिक से अधिक काम-काज के लिए उचित मार्ग-दर्शन के लिए मुख्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण किया जाता है और आवश्यक व उचित कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भी निगम के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा भाण्डागारों का हिन्दी से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण किया जाता है । निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा भाण्डागारों द्वारा विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाता है और निरीक्षण अधिकारी के सुझावों के अनुसार राजभाषा विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ।

(ग) निगम के मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों से सम्बन्धित आँकड़े

अध्ययन के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम के मुख्यालय, नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई तथा लखनऊ में हिन्दी में किए

जा रहे दैनिक कार्यालयीन काम-काज तथा राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग से सम्बन्धित आँकड़े प्राप्त हुए । इन आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत है -

1. राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी पद

(1) हिन्दी अधिकारी

कार्यालय का नाम	**स्वीकृत**	**भरे गए**	**रिक्त**	**जब से रिक्त है**
मुख्यालय, नई दिल्ली	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	01	-	01	1995
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	01	-	01	1996

मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में हिन्दी अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है । मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में हिन्दी अधिकारी तैनात हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ व मुंबई में इन पदों को भरा जाना है । निगम में हिन्दी अनुवादकों की पदोन्नति कर हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ।

(2) हिन्दी अनुवादक

कार्यालय का नाम	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त	जब से
मुख्यालय, नई दिल्ली	03	03	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	01	-	01	10वर्ष से
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	01	-	01	1990
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	01	-	01	1992

मुख्यालय, नई दिल्ली में हिन्दी अनुवादक के 3 तथा क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल तथा लखनऊ में हिन्दी अनुवादक के एक-एक पद स्वीकृत हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, भोपाल तथा लखनऊ में ये स्वीकृत पद रिक्त हैं । क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में वर्ष 1990 से, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में वर्ष 1992 से तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता में हिन्दी अनुवादक का पद विगत 10 वर्षों से रिक्त है। निगम में हिन्दी अनुवादक की सीधी भर्ती होती है ।

(3) हिन्दी आशुलिपिक

कार्यालय का नाम	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त	जब से रिक्त है
मुख्यालय, नई दिल्ली	08	08	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	01	-	01	1990
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय	01	01	-	-

मुख्यालय, नई दिल्ली में हिन्दी आशुलिपिक के आठ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, मुम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी आशुलिपिक के एक-एक पद स्वीकृत हैं । इनमें से क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को छोड़कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिक तैनात हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में हिन्दी आशुलिपिक का पद वर्ष 1990 से रिक्त है ।

(4) हिन्दी टंकक

कार्यालय का नाम	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त	जब से रिक्त है
मुख्यालय, नई दिल्ली	02	02	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	01	-	01	10वर्ष से
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	01	-	01	1991
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	01	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	01	01	-	-

मुख्यालय, नई दिल्ली में हिन्दी टंकक के दो तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल और लखनऊ में हिन्दी टंकक के एक-एक पद स्वीकृत हैं । केवल क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी टंकक तैनात हैं ।

2. **प्रयोग में लाए जा रहे उपकरण**

(i) टाइपराइटर

कार्यालय का नाम	हिन्दी		अंग्रेजी		द्विभाषी	
	मै.	इले.	मै.	इले.	मै.	इले.
मुख्यालय, नई दिल्ली	50	-	90	-	-	10
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	01	-	12	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	04	-	12	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	04	-	07	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	06	01	06	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	07	-	15	01	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	04	-	07	-	-	-

मुख्यालय, नई दिल्ली तथा उपरोक्त सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी मैनुअल टाइपराइटर उपलब्ध हैं । मुख्यालय, नई दिल्ली में इसकी संख्या 50 है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई तथा भोपाल में क्रमशः 7 तथा 6 हिन्दी मैनुअल टाइपराइटर उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त मुख्यालय, नई दिल्ली में 10 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भोपाल तथा लखनऊ में एक-एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध है । क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में तो हिन्दी तथा अंग्रेजी मैनुअल टाइपराइटरों की संख्या बराबर है । क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 6 अंग्रेजी के तथा 6 हिन्दी के मैनुअल टाइपराइटर उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ हिन्दी और द्विभाषी के एक-एक इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर भी उपलब्ध हैं ।

(2) टेलेक्स मशीन

कार्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी (हिन्दी+अंग्रेजी)
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	-	02
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	01	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	01	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	01	-

हिन्दी में टेलेक्स मशीन भेजने के लिए निगम के कार्यालयों में द्विभाषी टेलेक्स मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है । मुख्यालय, नई दिल्ली में दो तथा क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ और क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में एक-एक द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) टेलेक्स मशीन उपलब्ध है । क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, भोपाल और लखनऊ में एक-एक अंग्रेजी टेलेक्स मशीन उपलब्ध है, जिसके स्थान पर द्विभाषी टेलेक्स मशीन खरीदने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(3) **फ्रैंकिंग मशीन**

कार्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी (हिन्दी+अंग्रेजी)
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	01	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	01	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	-	01
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	01	-

निगम द्वारा डाक भेजते समय फ्रैंकिंग का कार्य भी हिन्दी में किया जाता है । क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भोपाल तथा मुंबई में एक-एक द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) फ्रैंकिंग मशीन उपलब्ध है । क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और लखनऊ में अंग्रेजी की फ्रैंकिंग मशीन है ।

(4) संगणक (कम्प्यूटर)

कार्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी (हिन्दी+अंग्रेजी)
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	06	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	02	-
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	-	-

मुख्यालय, नई दिल्ली में अंग्रेजी के 6 और क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में अंग्रेजी के 2 संगणक हैं ।

3. प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न कार्यालयीन दस्तावेज

(i) प्रपत्र

कार्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	-	10
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	सभी	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	10	20	70
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	75
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	30	40
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	26	120	49
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	-	65

अहिन्दी भाषी क्षेत्र होते हुए भी प्रयोग में लाए जा रहे, हिन्दी में छपे, प्रपत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई का स्थान सबसे आगे है । यहाँ हिन्दी के 26 प्रपत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में हिन्दी के 10 प्रपत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं । जहाँ तक द्विभाषी प्रपत्रों का सवाल है क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सबसे ज्यादा 75 द्विभाषी प्रपत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं । इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में 70, लखनऊ में 65, मुंबई में 49, भोपाल में 40 तथा मुख्यालय, नई नई दिल्ली में 10 द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) प्रपत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं । प्रयोग में लाए जा रहे द्विभाषी प्रपत्रों की संख्या सभी कार्यालयों में सराहनीय है ।

(2) कार्यालयीन पत्राचार

कार्यालय का नाम	जारी पत्र			
	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95	
	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
मुख्यालय, नई दिल्ली	2818 8	8826	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	17557	2	16809
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	10-15% हिन्दी पत्राचार		10-15% हिन्दी पत्राचार	
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	4015	7292	5625	6483
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	745	225	630	220
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	528	21000	839	20617
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	8021	4408	5983	13121

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार मुख्यालय, नई दिल्ली में वर्ष 1993-94 में सबसे ज्यादा 28188 पत्र हिन्दी में जारी हुए, जो कि अंग्रेजी में जारी पत्रों की संख्या से अधिक है । क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में क्रमशः 8021 तथा 4015 पत्र हिन्दी में जारी हुए । केवल कलकत्ता को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, भोपाल तथा मुंबई से जारी हिन्दी पत्रों की संख्या अच्छी रही । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95 में क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से हिन्दी में 5983 पत्र जारी हुए । क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली से 5625 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल व मुंबई से क्रमशः 630 और 839 पत्र जारी हुए । क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में कुल जारी पत्रों का 10-15% पत्र हिन्दी में लिखा गया तथा इसी वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता में भी हिन्दी पत्राचार की शुरूआत हुई और वर्ष के दौरान 2 पत्र हिन्दी में लिखे गए । दोनों वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से हिन्दी में जारी पत्रों की संख्या अंग्रेजी से अधिक है ।

(3) तार

कार्यालय का नाम	जारी तार			
	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95	
	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	10	-	06
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	282	-	293
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	अधिकतर कार्य अंग्रेजी में			
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	12	205	12	219
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	10	492	80	327
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	18	652	15	712
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	105	630	105	670

निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से हिन्दी में भी तार भेजे जाते हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 में हिन्दी में सबसे ज्यादा 105-105 तार जारी किए गए । क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भोपाल तथा मुंबई से भी हिन्दी में तार भेजे गए ।

(4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी सम्बन्धित दस्तावेज

कार्यालय का नाम	जारी दस्तावेज					
	वर्ष 1993-94			वर्ष 1994-95		
	हि.	अं.	द्वि.	हि.	अं.	द्वि.
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	-	338	-	-	301
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	20	110	140	30	100	140
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	8	2204	-	-	502
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	850	-	950	1075	-	870
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	29	86	00	18	76	00
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	8	8	16	7	7	14

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी द्विभाषी दस्तावेजों में वर्ष 1993-94 में क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली से सबसे ज्यादा 2204 द्विभाषी दस्तावेज जारी किए गए तथा वर्ष 1994-95 में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से सबसे ज्यादा 870 दस्तावेज द्विभाषी जारी किए गए । केवल हिन्दी में जारी किए गए दस्तावेजों में दोनों वर्षों में भोपाल में सबसे ज्यादा दस्तावेज जारी हुए । वर्ष 1993-94 में 850 तथा वर्ष 1994-95 में 1075 दस्तावेज हिन्दी में जारी हुए । दोनों वर्षों में क्षेत्रीय कार्याल, कलकत्ता और क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से द्विभाषी दस्तावेज जारी नहीं हुए । फिर भी सामान्य रूप से सभी कार्यालयों से हिन्दी तथा द्विभाषी रूप में जारी दस्तावेजों की संख्या सराहनीय है ।

(ङ) हिन्दी में कार्य करने के प्रोत्साहन हेतु लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ

(1) "अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार' योजना

कार्यालय का नाम	योजना लागू करने का वर्ष	प्रोत्साहन पुरस्कार पानेवाले अधिकारियों की संख्या			
		वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95	
		हिन्दी भाषी	अहिन्दी भाषी	हिन्दी भाषी	अहिन्दी भाषी
मुख्यालय, नई दिल्ली,	-	1	2	विचाराधीन	
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	1990-91	1	0	1	0
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	1990	1	0	विचाराधीन	
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	1989	1	0	1	0
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	-	-	-	-

वर्ष 1993-94 में मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, नई दिल्ली एवं मुंबई में एक-एक हिन्दी भाषी तथा मुख्यालय, नई दिल्ली में दो अहिन्दी भाषी अधिकारियों को भी हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95 में क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ तथा मुंबई के एक-एक हिन्दी भाषी अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया ।

(12) "सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण-आलेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना

कार्यालय का नाम	योजना लागू करने का वर्ष	प्रोत्साहन पुरस्कार पानेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	
		वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	1989-90	5	7
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	1988	6	विचाराधीन
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	1989	9	9
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	1988	2	-

"सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण-आलेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान करने में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई दोनों वर्ष अर्थात् वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में प्रथम रहा । यहाँ दोनों वर्ष 9-9 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1993-94 में क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में 6, चण्डीगढ़ में 5 तथा लखनऊ में 2 अधिकारियों/कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया । वर्ष 1994-95 में क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ के 7 अधिकारियों/कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन पुरस्कार मिला ।

(13) **अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी में भी आशुलिपि का कार्य करने के लिए "प्रोत्साहन भत्ता" योजना**

कार्यालय का नाम	योजना लागू करने का वर्ष	"प्रोत्साहन भत्ता" पानेवाले आशुलिपिकों की संख्या	
		वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
मुख्यालय, नई दिल्ली	1992	2	3
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1992	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	-	-

अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी में भी आशुलिपि का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यालय, नई दिल्ली में "प्रोत्साहन भत्ता" योजना लागू है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 2 और 3 आशुलिपिकों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया गया । यह योजना क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में भी लागू है । परन्तु इस योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी आशुलिपिक को पुरस्कृत नहीं किया गया है ।

(4) अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी में भी टाइपलेखन कार्य करने के लिए "प्रोत्साहन भत्ता" योजना

कार्यालय का नाम	योजना लागू करने का वर्ष	"प्रोत्साहन भत्ता" पानेवाले टंककों की संख्या वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
मुख्यालय, नई दिल्ली	-	6	8
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	1990	2	2
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	1990	4	4
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1990	8	8
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	1990	1	1
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	1990	4	4

अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी में भी टाइपलेखन कार्य करने के लिए "प्रोत्साहन भत्ता" योजना क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई तथा लखनऊ में वर्ष 1990 से लागू है । यह योजना मुख्यालय में भी लागू है । वर्ष 1993-94 में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 8, मुख्यालय, नई दिल्ली में 6, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में 4, लखनऊ में 4, चण्डीगढ़ में 2 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में 1 टंकक को यह प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया गया । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95 में यह भत्ता मुख्यालय में 8, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 8, नई दिल्ली में 4, लखनऊ में 4, चण्डीगढ़ में 2 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में एक टंकक को प्रदान किया गया ।

(5) "चलशील्ड" योजना

कार्यालय का नाम	योजना लागू करने का वर्ष	"चलशील्ड" पानेवाले अनुभाग का नाम वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
मुख्यालय, नई दिल्ली	1983-84	वित्त	कार्मिक
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	-	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	1992-93	स्थापना	स्थापना
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	-	-	-

हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करनेवाले अनुभागों के लिए "चलशील्ड" योजना लागू है । वर्तमान में चलशील्ड योजना मुख्यालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में लागू है । विभिन्न विभागों का हिन्दी कार्य देखते हुए मुख्यालय में वर्ष 1993-94 में वित्त विभाग तथा वर्ष 1994-95 में कार्मिक विभाग को चलशील्ड प्रदान की गई । क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में दोनों वर्ष अर्थात् वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 में यह चलशील्ड स्थापना अनुभाग को प्रदान की गई ।